

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इबतदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

1. राजकुमार पुत्र स्व. रामेश्वरलाल उम्र 54 वर्ष निवासी सातड़ा तहसील चूरु हाल निवासी विश्वाकर्मा मन्दिर, वार्ड नं. 13 सरदारशहर जिला चूरु राजस्थान
2. जगदीश प्रसाद दर्जी पुत्र रामेश्वरलाल दर्जी उम्र 57 वर्ष पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड नं. 08 सातड़ा तहसील चूरु राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पुत्र स्व. रामेश्वरलाल निवासी सातड़ा तहसील चूरु हाल निवासी वार्ड नं. 14, करणी माता मन्दिर के पास, लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरु (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट
मुकदमा नं. 44 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री गोपालकृष्ण सिहाग एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब अधिवक्ता प्रदीप कुमार बेनीवाल एडवोकेट प्रतिवादी सं. 01 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वा डिक्री दी जाती है कि:-

पक्षकारान उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि ख.नं. 1091/42, 1092/42 ग्राम सातड़ा में से वादीगण प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	रकबा है.	किस्म
1.	जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति -छीपा (छीपा) निवासी सातड़ा खातेदार	1091/42मिन	01.6162	बारानी
2.	राजकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति -छीपा (छीपा) निवासी सातड़ा खातेदार	1091/42मिन	01.6162	बारानी



AG.

3.	प्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति --छीपा (छीपा) निवासी सातड़ा खातेदार	1091 / 42मिन	01.6162	बारानी
4.	गैरमुमकिन रास्ता	1092 / 42 मिन	0.0505	बारानी

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को उपरोक्तानुसार व राजीनामा को निर्णय का भाग माना जाकर राजीनामानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07 माह नवम्बर सन् 2024 को जारी की गई।

44
(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरु